

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


क्रमांक/परीक्षा-2/गोपनीय/2011/960

दिनांक : 13/07/2011

/ / संशोधित-अधिसूचना / /


विश्वविद्यालय द्वारा आज विधि संकायाध्यक्ष के अभिमत को स्वीकार करते हुये छात्रहित में यह निर्णय लिया गया है कि जिन छात्रों की एल.एल.बी. (त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम) तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. है, ऐसे सभी छात्रों को आगामी एल.एल.बी. (त्रि-वर्षीय पाठ्यक्रम) षष्ठम सेमेस्टर परीक्षा जून 2011 की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाती है। लेकिन ऐसे परीक्षार्थियों का षष्ठम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम उस समय घोषित किया जावेगा जब परीक्षार्थी ए.टी.के.टी. परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। ऐसे पात्र विद्यार्थियों से परीक्षा फार्म के साथ विलम्ब शुल्क नहीं लिया जावे।

सर्वसंबंधित के सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रसारित।

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान सम्पादक ..... की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में समाचारवृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. प्राचार्य/वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. अतिरिक्त संचालक, ग्वालियर-चम्बल संभाग, मोतीमहल, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव/सहा-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वा0।
5. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. कुलसचिव के गोपनीय/निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

  
उप-कुलसचिव (गोपनीय/परीक्षा)